क्रम-संख्या—282

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 11 दिसम्बर, 2006

अग्रहायण 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1522/79-वि-1—01(क)40-2006

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, खण्ड (भ) में मद 79 के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(80) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा विकास परिषद"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1971) की धारा 3 का खण्ड (भ) यह घोषित करता है कि उसमें उल्लिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पदधारक राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह नहीं होगा। यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा विकास परिषद को उक्त खण्ड में सम्मिलित करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय। यह भी विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) और (ग) को, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2006) के प्रवर्तन के दिनांक से अनावश्यक हो गये हैं, निकाल दिये जायं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1522/LXXIX-V-1–01(Ka)-40-2006

Dated Lucknow, December 11, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Anarhata Nivaran) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 39 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 8, 2006.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 39 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Act, 2006. Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act, clauses (*b*) and (*c*) shall be *omitted*. Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1971

3. In section 3 of the principal Act, in clause (*x*) *after* item (79) the following item shall be *inserted*, namely :– Amendment of section 3

"(80) Uttar Pradesh State Handloom Development Board."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (*x*) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (U.P. Act no. 15 of 1971) declares that the holder of the office of the Chairman or Vice-Chairman or Member (whether called Director or by any other name) of each of the bodies mentioned therein shall not be disqualified for being chosen as, or for being a member of the State Legislature. It has been decided to amend the said Act to include Uttar Pradesh State Handloom Development Board in the said clause. It has also been decided to omit clauses (*b*) and (*c*) of section 2 of the said Act as they had become redundant with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 10 of 2006).

The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

गी०एस०यू०पी०–ए० पी० 3198 राजपत्र (हि0)–(6798)–2006–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

गी०एस०यू०पी०-ए०पी० 203 सा० विधा०–2006–(6799)–850 (कम्प्यूटर/आफसेट)।